न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–191 सन् 2006

ठाकुर राम जानकी मंदिर न्यास समिति वगैरह..........वादीगण।

बनाम

विनोद कुमार सिंह वगैरह................................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 08.12.2023

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उभय पक्ष उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 31.10.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 06 युगल किशोर प्रसाद थे जिनकी मृत्यु दिनांक 22.09.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 06 का नाम कलमजद होना तथा उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करनां आवश्यक है। अतः निवेदन है कि मृत प्रतिवादी सं0 06 युगल किशोर प्रसाद का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 06 युगल किशोर प्रसाद थे जिनकी मृत्यु दिनांक 22.09.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 06 का नाम कलमजद होना तथा उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करनां आवश्यक है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 31.10.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक................को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।